39

संख्या–761 /XVIII(II)/12–2(01)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 30 मई, 2012

विषय–गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के प्राविधानों के अंतर्गत कृषि प्रयोजन के लिए दिए गए भूमि पट्टो के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में कई स्थानों पर कई व्यक्तियों को गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के प्राविधानों के अंतर्गत कृषि भूमि के पट्टे दिए गए है। पट्टे की शर्तों के अनुसार इन्हें सम्बन्धित भूमियों पर कृषि कार्य करने के एवं भूमि धारित करने के आनुवंशिक अधिकार प्राप्त है। इनके द्वारा यह मांग की जाती रही है कि इन्हें संबंधित भूमि का मालिकाना हक दिया जाये जिससे उन्हें भूमि के विक्रय के अधिकार, कृषि के उन्नयन हेतु भूमि को बंधक रखकर बैंको से ऋण लेने आदि के अधिकार प्राप्त हो सके।

इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गैर जमींदारी विनाश भूमि के ऐसे पट्टेदार जिन्हें गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अंतर्गत कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे दिये गये है, को पट्टे की शर्तों में संशोधन करते हुए कतिपय शर्तों के अधीन उन्हें मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ये शर्तें निम्नलिखित होंगीः–

1. संबंधित पट्टा कृषिक प्रयोजन के लिए 01 जून, 2012 से 30 वर्ष या इससे अधिक पूर्व दिया गया हो एवं इसका कृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग हो रहा हो। कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिए गए पट्टो पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

.....2

2. उपरोक्त शर्त को पूर्ण करने की स्थिति में 9 नवम्बर, 2000 को लागू सर्किल रेट के 1/10 के आधार पर प्रीमियम, आदेश की तिथि से 06 माह तक शासन के पक्ष में जमा करने की स्थिति में संबंधित पट्टेदार को उसकी पट्टे की भूमि मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा।
3. ऐसा अधिकार भू–स्वामी द्वारा अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 द्वारा विहित अधिकतम भूमि की सीमा तक (सिंचित भूमि–12.5 एकड़, असिंचित भूमि–18 एकड़) के लिए ही दिया जा सकेगा।
4. उपरोक्त व्यवस्था केवल गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के अंतर्गत कृषि प्रयोजन हेतु दिए गए पट्टो के संदर्भ में ही लागू होगी।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–761/समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1154GO